

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी मन्दिर मूर्ति ठाकुर बालमुकुन्द बनाम लोकेन्द्र सिंह व अन्य प्रतिवादीगण

संख्या 131/25 (2025/215) दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

2025 वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री <sup>E.C.</sup> जयसिंह शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/08/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी

11/8/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी इप0 पत्रावली पेश शुदा नोटिस की तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 12/08/25 को पेश हो। <sup>980</sup> <sup>लिया</sup>

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर

12/08/25 पत्रावली पेश हुई प्रकृलाय द्वारा कन्सेलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक 12/08/25 को पेश हो।

18/8/25 पत्रावली पेश। वकील पद्माकर इप0 शामिल स्टैटस दिनांक 3/9/25 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर

3/9/25 पत्रावली पेश वकील पद्माकर अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट से समाप्ति तक रुक कर बार-बार आवज दिलाई गई कोई हाजिर बदलत नहीं आये। अतः वकील पद्माकर की अनुपस्थिति में दावा बाबत अरसाई निवेद्याशा अदम हाजरी व अदम कैवी में खारिज किया जा रहा है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर